

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(9)एम.ई./ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक:


16 APR 2015

परिपत्र

विषय:- रेडियोलोजी विषयक के चिकित्सक शिक्षकों को निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति दिये जाने बाबत।

राज्य में समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत रेडियोलोजी विषयक के चिकित्सक शिक्षकों को कार्यालय समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन होगी:-

1. चिकित्सक शिक्षक निजी प्रेक्टिस हेतु कार्यस्थल से 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जायेंगे।
2. चिकित्सक शिक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व निजी प्रेक्टिस करने हेतु विकल्प का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. चिकित्सक शिक्षक जो निजी प्रेक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेगे/चुनेगे उन्हें नियमानुसार एनपीए/एनसीए देय नहीं होगा।
4. चिकित्सक शिक्षक द्वारा दिन प्रतिदिन के राजकीय कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा अन्यथा राज्यादेश की अवहेलना समझी जायेगी एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।




(सम्पत मल लोढ़ा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय (चिकित्सा शिक्षा)।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा (प्रशासन/शैक्षणिक)
5. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्य लेखाधिकारी, मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (चि.शि.)